उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी–22 /तक0प्र0/18–19 दिनॉक 6·6·2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय–नाबार्ड द्वारा बैंक में संचालित योजनाओ मे विभिन्न उद्देश्यों हेतु इकाई लागत का निर्धारण।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0सी–49/तक0प्र0/17–18 दिनॉक 21.09.17 का सन्दर्भ लें जिसके कम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की स्टेट लेवल इकाई लागत कमेटी दिनॉक 03.05.2018 में बैंक के द्वारा संचालित योजनाओं के अर्न्तगत विभिन्न उद्देश्यों की इकाई लागत में संशोधन किया गया है (संलग्न)। नाबार्ड द्वारा निर्धारित यह औसत इकाई लागत संकेतात्मक है। शाखा प्रबन्धक द्वारा यह वित्त पोषित किये जाने वाले प्रोजेक्ट की वाइविल्टी एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत से अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत संशोधित इकाई लागत के अनुसार ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित–

(1). समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(2). उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
(3). महाप्रबन्धक(आई0सी0डी0),राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ
(4). समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)

- जानवरों को समय-समय पर प्रतिरोधक टीके अवश्य लगवाये जायें।
- जानवरों का नियमानुसार बीमा अवश्य कराया जाये।
- जानवरों के चारे, रातिब व सूखे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिन इकाईयों में जानवरों के आवास हेतु ऋण नहीं दिया जा रहा है वहां यह सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थी के पास जानवरों हेतु आवास की व्यवस्था उपलब्ध है अथवा लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से निर्माण कराया जायेगा।
- जहॉ उत्पादित दूध के विपणन हेतु किसी अन्य एजेंसी से करार किया जाता है तो वहां यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित एजेंसी क्रय किये गये दूध से बैंक की वसूली सुनिश्चि करायेगी।
- ऋण की अवधि 05 वर्ष
- ग्रेस पीरिएड-कोई नहीं
- एन0पी0ए0 होने की अवधि-ऋण वितरण के पश्चात आने वोल 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूर को अंतिग किश्तों के रूप में लगायी जायेगी। यदि किश्त लगने के 90 दिन के उपरांत तक किश्तों की वसूली नहीं आती है तो ऋण खाता एन0पी0ए0 हो जायेगा और एन0पी0ए0 होने की तिथि को अथवा उसके आगे आने वाले 31 मार्च को ऋण खाते का एन0पी0ए0 में श्रेणीकरण कर दिया जायेगा।

<u>भेंड़ /बकरी</u>

- इस योजनान्तर्गत ऐसे गॉव अथवा स्थान का चयन करना चाहिए जहॉ पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन केन्द्र तथा ऊन/मांस के वपणन की पर्याप्त सम्भावनायें उपलब्ध हों।
- लाभाथी के चयन हेतु इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाये कि वह प्राथमिकता के तौर पर पुश्तैनी चरवाहे समुदाय का हो अथवा भेंड/बकरी पालन व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव रखता हो।
- एक गॉव में भेड़/बकरी के 12 इकाईयों से अधिक का ऋण वितरण नहीं किया जाये।
- केवल 12 से 18 माह की आयु के उच्च गुणवत्ता वाले जैसे बानौर, निलोर, दक्किनी, बिलारी प्रजाति की भेंड़ तथा उस्मानाबाद, जमुनापारी नस्ल की व स्थानीय प्रजाति की संकर नस्ल की बकरियों को वित्त पोषित किया जाये।
- प्रत्येक जानवर का चिन्हीकरण किया जाये।
- प्रत्येक पशु का बीमा किया जाना आवश्यक है।
- शाखा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कोई भी जानवर बैंक ऋण के पूर्ण वापसी से पहले बैंक की पूर्व अनुमति के बिना लाभार्थी द्वारा बिक्री न किया जाये।
- ऋण की अवधि 07 व 5 वर्ष (योजनानुसार)
- ग्रेस पीरिएड- एक वर्ष
- एन0पी0ए0 होने की अवधि- पशु पालन व डेयरी के अनुसार किश्त लगने के उपरांत 90 दिनों तक वसूली न होने पर।

<u>कार्यशील पशु</u> (यथा-बैल, भैंस, ऊँट, खच्चर आदि)

- इस योजनान्तर्गत ऐसे गॉव अथवा स्थान का चयन करना चाहिए जहॉ पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन केन्द्र तथा किराये पर चलाने/प्रयोग करने की पर्याप्त सम्भावनायें उपलब्ध हों।
- केवल 3-4 वर्ष की आयु के स्वस्थ पशु हेतु ही वित्त पोषण किया जाये।
- वित्त पोषित जानवरों का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त किया जाये तथा जानवरों पर चिन्हीकरण कराया जाये।
- जानवरों का समय समय पर प्रतिरोधक टीके अवश्य लगवाये जायें।
- जानवरों का नियमानुसार बीमा अवश्य कराया जाये।

- उच्च गुणवत्ता वाले फल/फूल व अन्य औद्यानिक फसलों की नर्सरी, बीज व अन्य पौध सामग्री हेतु आपूर्ति करने वाली फर्म, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य फार्म आदि को प्राथमिकता दी जाये।
- औद्यानिक योजना हेतु प्रथम वर्ष में पौध लगाने हेतु निवेश के लिये ऋण देने के उपरान्त आर्थिक रूप से फसलोत्पादन प्राप्त करने तक रख-रखाव व अन्य मदों के लिये इकाई लागत के अनुसार ऋण दिया जाता है, किन्तु कुछ औद्यानिक योजनाओं में प्रथम वर्ष में ही (एक किश्त में ही) पूर्ण ऋण दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में शाखा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रख-रखाव आदि पर होने वाले व्यय हेतु लाभार्थी सक्षम है।
- चूंकि बागवानी योजनान्तर्ग फूलों से सम्बंधित या औषधीय पौधों से सम्बंधित योजनायें भी है। अतः उत्पाद के विपणन की व्यवस्था को अवश्य ध्याान में रखा जाये।
- औद्यानिक योजनाओं हेतु विभिन्न प्रकार के मौसम निर्धारित हैं अतः सीजनल्टी को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।
- ऋण की अवधि - 3 वर्ष से 9 वर्ष योजना के अनुसार)
- ग्रेस पीरिएड- 1 वर्ष से 5 वर्ष योजना के अनुसार)
- एन0पी0ए0 होने की अवधि- योजना का ग्रेस पीरियड समाप्त होने के उपरान्त किश्त लगले की तिथि से 365 दिन बीता जाने पर किश्त के अदेयय होने की स्थिति में ऋणखाता एन0पी0ए0 हो जायेगा व एन0पी0ए0 होने के बाद आने वाले 31 मार्च को ऋण खाते का वर्गीकरण एन0पी0ए0 के रूप में किया जायेगा।

<u>मत्स्य पालन योजना</u>

- नये- पुराने तालाबों की खुदाई इस प्रकार होनी चाहिये कि गर्मी के माह में भी तालाब में 5-6 फिट की गहराई तक पानी उपलब्ध रहे।
- मत्स्य पालन हेतु कतला, रोहू, मृगल, ग्रासकार्प, सिल्वर कार्प तथा कामन कार्प के उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज प्रतिष्ठित फर्म, एफ0एफ0 डी0ए0 तथा मत्स्य विभाग से क्रय करने चाहिये।
- मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित मत्स्य बीज, मत्स्य घनत्व, चूने का प्रयोग, कार्वनिक/अकार्वनिक खाद आदि का प्रयोग करना चाहिये।
- प्रत्येक दशा में मत्स्य पालन हेतु ऐसे स्थान का चयन करना चाहिय जहां देख-रेख हो सके।
- विपणन का भी विशेष ध्यान रखा जाय तथा किसी भी दशा में सीजनल्टी को अनदेखा न किया जाये।
- ऋण की अवधि 3-7 वर्ष (योजनानुसार)
- ग्रेस पीरिएड 11 माह व 1 वर्ष (योजनानुसार)
- एन0पी0ए0 होने की अवधि- ऋण वितरण के एवात आने वाले 1 अप्रैल अथा व अक्टूबर को अन्तिम किश्तों के रूप में लगायी जायेगी। यदि किश्त लगने के 90 दिन के उपरांत तक किश्तों की वसूली नहीं आती है तो ऋण खाता एन0पी0ए0 हो जायेगा। ऋण खता एन0पी0ए0 होने की तिथि को अथवा उसके आगे आने वाले 31 मार्च को ऋण खाते का एन0पी0ए0 में श्रेणीकरण कर दिया जायेगा।